हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण
सार्वजनिक सूचना

(अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाले उद्योगों/ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं/ खनन परियोजनाओं को अंतिम सूचना, जिसमें वे आवेदक भी शामिल हैं जिन्होंने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण से अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है)

हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संसाधनों (भूजल और सतही जल) के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के लिए हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया है। इस संबंध में, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 10.09.2021 की अधिसूचना के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जो कि hwra.org.in प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (ह0ज0सं0प्रा0) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, उद्योगों/ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं/ खनन परियोजनाओं सहित भूजल निष्कर्षण करने वाली सभी परियोजनाओं को ह0ज0स0प्रा0 से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। ह0ज0सं0प्रा0 के संज्ञान में आया है कि:–

(क) ऐसे कई आवेदक हैं जिन्होंने ह0ज0सं0प्रा0 को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किया है। इन आवेदनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विधिवत संसाधित और अनुमोदित किया गया था। हालांकि, इन प्रस्तावकों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक टैरिफ जमा नहीं की है (विवरण ह0ज0सं0प्रा0 की वेबसाइट hwra.org.in पर **अनुलग्नक–'ए'** के रूप में उपलब्ध है)

(ख) ऐसे आवेदक हैं जो ब द्वारा उनके आवेदनों पर उठाई गई टिप्पणियों का जवाब नहीं दे रहे हैं। (विवरण ह0ज0सं0प्रा0 वेबसाइट hwra.org.in पर **अनुलग्नक–'बी'** के रूप में उपलब्ध है)

(ग) ऐसे कई आवेदक जो ह0ज0सं0प्रा0 को भूजल निकालने की अनुमति/एनओसी और इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं (विवरण ह0ज0सं0प्रा0 वेबसाइट hwra.org.in पर **अनुलग्नक–'सी'** के रूप में उपलब्ध है)।

इस प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्हें भूजल दोहन के लिए अनुमति/एनओसी नहीं दी गई है या जो अपनी मौजूदा/समाप्त अनुमति/एनओसी का नवीनीकरण नहीं करवा रहे हैं, वे अवैध रूप से भूजल दोहन कर रहे हैं। हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम 2020 के अनुसार, वे दिनांक 17.03.2022 की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के अलावा भूजल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने सहित सख्त कार्रवाई के पात्र हैं।

इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इन प्रस्तावकों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त परियोजनाओं के भूजल उपयोगकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करके ह0ज0सं0प्रा0 से भूजल निष्कर्षण के लिए आवश्यक अनुमति लें। यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूपः

- दिनांक 17.03.2022 की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के अलावा भूजल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने सहित सख्त कार्रवाई शुरू करना।
- कार्रवाई के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य विभागों से पत्राचार।
- ह0ज0सं0प्रा0 अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई जो उचित और आवश्यक समझी जाए।

अध्यक्षा,
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण

Public Notice

(Final notice to proponents illegally extracting groundwater including the applicants who have not applied for the permission/NOC from HWRA)

That the Government of Haryana has enacted the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020 for Conservation, Regulation and Management of water resources (groundwater and surface water) in the State. In this regard, the guidelines have been issued vide notification dated 10.09.2021 by the Government of Haryana and the same are available on the website of HWRA i.e. hwra.org.in

As per HWRA guidelines, all the projects extracting groundwater including Industry/Mining/Infrastructure sectors have to take permission/NOC from HWRA. It has come to the notice of Haryana Water Resources Authority that:-

(a) That a large number of applicants who have applied for grant of NOC to HWRA. These applications were duly processed & approved by the Authority for the issuance of No Objection Certificates (NOCs). However, these proponents have not deposited mandatory Tariff required for NOC issuance. **(Details available on the HWRA website i.e.** hwra.org.in **as Annexure-'A')**

(b) That a large number of applicants who are not replying to the observations raised on their applications by the HWRA. **(Details available on the HWRA website i.e.** hwra.org.in **as Annexure-'B')**

(c) That a large number of applicants who have not till date applied for the permission/NOC from HWRA for groundwater extraction and its renewal **(Details available on the HWRA website i.e.** hwra.org.in **as Annexure-'C')**.

Thus, such applicants who have not been granted permission or are not getting their existing/expired permission/NOC renewed for the groundwater extraction are therefore, extracting groundwater illegally. As per the Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act 2020, they are subject to strict action including sealing of groundwater extraction structures besides levying Environmental Compensation as per the notification dated 17.03.2022.

Through this public notice, one last opportunity is being provided to these proponents. The ground water users of the above said projects are directed to take necessary permission for groundwater extraction from the HWRA by completing all the formalities within 15 days of publication of this public notice. It is made clear that non-compliance will lead to:

- Initiation of strict action including sealing of groundwater extraction structures besides imposition of Environmental Compensation as per the notification dated 17.03.2022.
- Cancellation of the application and forfeiting of the application and scrutiny fee.
- Communicating to Haryana State Pollution Control Board and other departments for action.
- Any other action as may deem fit & necessary as per the provision of the HWRA Act.

Chairperson,
Haryana Water Resources Authority.